न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–1017 / 1999
सी0आई0एस0 संख्या–456 / 2015
निर्णय दिनांक–02.07.2026

परिशिष्ट–ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–I , दानापुर। **उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन** **अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,** **दानापुर।** **सत्र वाद संख्या–1017 / 1999** **सी0आई0एस0 संख्या–456 / 2015** **दानापुर थाना काण्ड संख्याः–384 / 1998** **राज्य द्वारा नरेश झा**	
सूचक	चिन्ता देवी , पति–स्व0 कौशलेन्द्र शर्मा, साकिन–मिथिला कॉलोनी थाना–दानापुर, जिला–पटना।
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री रामकेश्वर प्रसाद
अभियुक्त	1. जितेन्द्र कुमार महतो, पिता–स्व0 अजीत महतो, साकिन– रामजीचक, थाना–दीघा, जिला–पटना। 2. बिरजु कुमार, पिता– रामदेव पासवान, साकिन– नासरीगंज, थाना–नासरीगंज, जिला–पटना। 3. सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर, पिता– पोखन राय, साकिन– रामजीचक, थाना–दीघा, जिला–पटना।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता	1. श्री अरूण कुमार 2. श्री नीरज कुमार

परिशिष्ट–बी

अपराध की तिथि	21.10.1998
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.10.1998
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	16.01.1999
संज्ञान की तिथि	लागू नहीं
आरोप गठन की तिथि	06.11.2015
साक्ष्य आरम्भ होने की तिथि	20.07.2016
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	30.06.2026

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–1017 / 1999
सी0आई0एस0 संख्या–456 / 2015
निर्णय दिनांक–02.07.2026

निर्णय की तिथि	29.06.2026
दण्ड सुनाने की तिथि यदि कोई हो	लागू नहीं

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–428 दं0 प्र0 सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के क्रम में दिया गया दण्ड
1.	जितेन्द्र कुमार महतो	लागू नही	17.02.2000	धारा–396, 412, 120(बी) भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	बिरजु कुमार	लागू नही	लागू नहीं	धारा–396, 412, 120(बी) भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर	लागू नही	16.03.2000	धारा– 396, 412, 120(बी) भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट–सी

अभियोजन / प्रतिरक्षा पक्ष / न्यायालय के साक्षियों की सूची

अ–अभियोजन साक्ष्य

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	अन्य साक्षी

ब–प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी, यदि हो तोः–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कुछ नहीं	कोई नहीं	लागू नही

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–1017/1999
सी0आई0एस0 संख्या–456/2015
निर्णय दिनांक–02.07.2026

स–न्यायालय साक्षी, यदि कोई होः–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कुछ नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं

अभियोजन पक्ष/प्रतिरक्षा पक्ष/न्यायालय प्रदर्शः–

अ–अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कुछ नहीं	लागू नहीं

ब–प्रतिरक्षा पक्ष के प्रदर्श यदि हो तोः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं

स–न्यायालय प्रदर्श यदि हो तोः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रतिरक्षा प्रदर्श	कुछ नहीं

डी–वस्तु प्रदर्श यदि हो तोः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं	कुछ नहीं

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण **जितेन्द्र कुमार महतो, बिरजु कुमार, सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर** के विरूद्ध **भा0दं0वि0 की धारा– 396, 412, 120 (बी)** के अंतर्गत आरोपों का निर्धारण कर विचारण किया गया है। प्रस्तुत वाद में

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–1017 / 1999
सी0आई0एस0 संख्या–456 / 2015
निर्णय दिनांक–02.07.2026

अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार महतो, बिरजु कुमार, सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

2. इस वाद में सूचिका चिंता देवी का फर्द बयान, जो कि पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार के समक्ष 2:30 बजे रात्रि, दिनांक 23.10.1998 को अंकित किया गया है। सूचिका का कथन इस प्रकार है कि जब वह दिनांक 20.10. 1998 को रात्रि लगभग 10 बजे वह अपने घर पर खा–पीकर सो गई थी। जिसमें एक कमरा बाहर वाले में वह स्वयं और उसकी बेटी संगीता तथा दूसरे कमरे में उसका बेटा कुमार अटल बिहारी उर्फ पपुल राय में सो रहे थे। रात्रि में लगभग 1:00 बजे किसी प्रकार की आहट एवं आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। जागने पर उसने देखा कि दो व्यक्ति उसके कमरे के भीतर खड़े थे, जिनमें से एक के हाथ में पिसतौल थी। उक्त पिसतौलधारी ने उसे चुप रहने की धमकी देते हुए उसके हाथ का सोने का कंगन तथा कान का सोने का टॉप्स उतरवा लिया तथा उसकी पुत्री संगीता के कान का सोने का टॉप्स भी उतरवा लिया। इसके पश्चात् अपराधियों ने दरवाजा खटखटाकर उसके पुत्र पपुल राय का कमरा खुलवाया। जब उसका पुत्र अपराधियों का प्रतिरोध करने लगा, तब पिसतौलधारी अपराधी ने उस पर गोली चला दी, जो उसके बाएं सीने में लगी। सूचिका ने आगे कथन किया है कि गोली चलने के उपरांत परिवार के सदस्यों द्वारा हल्ला–गुल्ला किए जाने पर सभी अपराधी पड़ोसी सदन मोहन पाठक के घर की दीवार फांदकर भाग निकले। उसके अनुसार अपराधियों की संख्या लगभग 8 से 10 थी, जिनमें से एक के पास पिसतौल थी। सभी अपराधी औसत कद–काठी के, लगगभग 25 से 30 वर्ष आयु के प्रतीत हो रहे थे तथा स्थानीय भाषा में बातचीत कर रहे थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि भागने से पूर्व अपराधियों ने उसके पुत्र की पत्नी सोनी के साथ भी लूटपाट की तथा घर से दक्षिण दिशा की ओर फरार हो गए। हल्ला सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्र हुए, जिसके पश्चात उसके घायल पुत्र पपुल राय को टेम्पो से अस्पताल ले जाया गया, किन्तु अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

3. प्रस्तुत वाद में सूचक के फर्दबयान के आधार पर दानापुर थाना कांड संख्या–384 / 1998 अंतर्गत धारा– 396, 120 भा0दं0वि0 के अंतर्गत पंजीकृत कर

अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाये जाने पर धारा– 396, 412, 120 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। तदुपरांत, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा आरोप पत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 396, 412, 120 (बी) भा0दं0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दानापुर के द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है। स्थानांतरण के पश्चात् विभिन्न न्यायालयों से होते हुए निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अभिलिखित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने घटना कारित करने से इनकार कियें तथा बचाव में अपने को निर्दोष बताया।

5. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है?

मन्तव्य

6. इस वाद में लगभग 27 वर्ष का समय दिए जाने एवं गवाहों की उपस्थिति हेतु न्यायालय से सभी वांछित प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अभियोजन के द्वारा केवल एक गवाह शैलेन्द्र कुमार सिंह की गवाही कराई गई है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि यह घटना वर्ष 1999 की है एवं वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में साक्षी का साक्ष्य मूल्यहीन हो जाता है। कोई अन्य साक्ष्य या साक्षी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि, अभियोजन अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार महतो, बिरजु कुमार, सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर के विरूद्ध धारा– 396, 412, 120(बी) भा0दं0वि0 के अधीन आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–1017 / 1999
सी0आई0एस0 संख्या–456 / 2015
निर्णय दिनांक–02.07.2026

आदेश

8. अतः अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार महतो, बिरजु कुमार, सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर** को भा0द0वि0 की धारा– 396, 412, 120(बी) के अधीन आरोपों से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण को व्यक्तिगत बंधपत्र से एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित, शुद्धिकृत,
sd/-
(श्री कुमार गुंजन),
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर ।
दिनांक 02 जुलाई, 2026.

लेखापित, शुद्धिकृत,
sd/-
(श्री कुमार गुंजन),
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर।
दिनांक 02 जुलाई, 2026.